



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240207
CG-DL-E-11112022-240207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]
No. 574]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/166/18-डीडी/243/2018/डीसी/1423/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सी.ए. ए अमरनाथ (सदस्यता संख्या 213629), संख्या 3440, जी 1, एस आर हार्मनी, चौथा क्रॉस, 10वां मुख्य, इंदिरानगर, एच ए एल, दूसरा चरण, बेंगलुरु (कर्नाटक) 560038 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (5), (6), (7), (8) और (9) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सी.ए. ए अमरनाथ (सदस्यता संख्या 213629) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की

धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. ए. अमरनाथ (सदस्यता संख्या 213629) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./397/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/166/18-DD/243/2018/DC/1423/2021.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. A Amaranath (Membership No. 213629), No. 3440, G1, S R Harmony, 4th Cross, 10th Main, Indiranagar, H A L, 2nd Stage, BENGALURU (Karnataka) 560038**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Items (5), (6), (7), (8) and (9) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. A Amaranath (Membership No. 213629)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) to be paid within 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. A Amaranath (Membership No. 213629)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 06 (Six) months with effect from 11th November, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./397/2022-23]